<u>प्रेस नोट</u>

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.08.19को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है |

1. **सिताब उर्फ मुबारिक पुत्र अफसर** नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जि0 सहारनपुर को कस्बा अम्बेहटा बस स्टैण्ड से 06 ग्रा0 स्मैक के साथ रात्रि मे समय 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया है जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 286/19 धारा 8/21 NDPSACTदिनांक 03.04.19 को हीपंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार चौकी प्रभारी अम्बैहटापीर
2-का0 218 पुनित कुमार
3-का0 1467 निशान्त कुमार

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04–08–2019

जनपद पुलिस के परिवार परामर्श केन्द्र में अधिकारियों/काउन्सलरो ने 03 पक्षो में कराया समझौताः–

आज दिनांक 04–08–2019 को पुलिस लाइन में महिला परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया। परामर्श केन्द्र में विवादित परिवारो की काउसिलिंग करने के लिये महिला परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कल्पना त्यागी, महिला आरक्षी ज्योति, महिला आरक्षी चित्रा, महिला आरक्षी पूजा व महिला आरक्षी मीनू की उपस्थिति में काउन्सलर श्री वासुदेव शर्मा, श्री राजेश कुमार जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्री शाहिद अहमद, श्रीमती मीनू शर्मा व श्रीमती सुरभि सिंह द्वारा काउसिलिंग की गई।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 17 पक्षो को नोटिस देकर काउसिलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें लडका व लड़की पक्ष के 07 लोग उपस्थित हुये। जिनकी काउसिलिंग करने के बाद काउन्सलर द्वारा 03 पक्षो में समझौता कराया गया। जो परिवार काउन्सलर के द्वारा मिलाये गये उनके नाम निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	गुलिस्ता पुत्री मतलूब निवासी बादशाही बाग थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।	इकराम पुत्र इसरार निवासी नन्हेडा बन्जारो का थाना नागल, सहारनपुर।
2	प्रीति वर्मा पुत्री प्रमोद वर्मा निवासी पंजाबी बाग थाना सदर बाजार, सहारनपुर।	संजीव वर्मा पुत्र ओमप्रकाश निवासी म0नं0 1022 बैल गहान थाना जगाधरी जिला यमुना नगर।
3	नाजिया पुत्री मुस्तकीम निवासी आली सराय थाना मण्डी, सहारनपुर।	तौसीब पुत्र कय्यूम निवासी मदनपुरी कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04–08–2019

थाना नकुड पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर करोड़ों रूपये की नगदी ऐंठने वाला 01 शातिर अभियुक्त को 05 लाख रूपये नगद सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि दिनांक 12–07–2019 को श्री कृष्ण कुमार पुत्र ताराचन्द निवासी 485/1 गऊशाला मण्डी रोड पानीपत हरियाणा ने थाना नकुड पर लिखित तहरीरी सूचना दी कि रिन्कू पुत्र ईशम सिंह व उसकी पत्नी निवासी काजीवास, साथी मुरसलीन व उसकी पत्नी ने कृषि योग्य जमीन का बैनामा कराने के लिये ऑफर दिया था कि हम आपको 4,00,00,000/–रूपये की जमीन 2,50,00,000/– रूपये में दिलवा देगे, लेकिन शर्त यह होगी कि आपको सभी पैसा नगद देना होगा। रिन्कू और मुरसलीन ने उसे व उसके साथी दलवीर सिंह पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम बांध जिला पानीपत को ग्राम काजीबास में रिन्कू के घर पर लगभग 6.30 बजे बुला लिया और इनसे 2,00,00,000/–रूपये नकद व 50,00,000/–रूपये के 02 चैक ले लिये। जब उसने रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो रिन्कू व उसकी पत्नी, मुरसलीन व उसकी पत्नी ने उनके साथ सहारनपुर के लिये चलने को कहा, किन्तु कृष्ण कुमार व दलवीर सिंह सहारनपुर जाते समय स्काईलार्क होटल पर पहुंचकर देखा तो रिन्कू व उसकी पत्नी, मुरसलीन व उसकी पत्नी कहीं नज़र नहीं आये तथा उन दोनों के मोबाइल नम्बर भी बन्द मिले। जब वह अपने साथी दलवीर सिंह के साथ उनके घर गये तो वहां रिन्कू और मुरसलीन व अन्य 6–7 साथियों के साथ अपने घर पर मिला। उसने व उसके साथी दलवीर सिंह ने उनसे बैनामा कराने या उनसे पैसे वापस मांगे तो रिन्कू, मुरसलीम, उनकी पत्नी व 6–7 अन्य अज्ञात साथियों द्वारा उनके व उनके साथी श्री दलवीर सिंह के साथ हाथापाई कर दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0सं0 248/2019 धारा 406/420/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 20–07–2019 को उक्त मुकदमें में अभि0 1–जसवन्त उर्फ रिन्कू सैनी पुत्र ईशम सिंह निवासी ग्राम काजीबांस थाना सरसावा, स0पुर 2–मुर्सलिन पुत्र अली नवाब निवासी आईटीआई आटा चक्की के पास थाना फरखपुर जिला यमुनानगर हरियाणा 3–अमित उर्फ जोनी पुत्र राकेश निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड, स0पुर 4–राजेन्द्र पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड, स0पुर 5–हरप्रीत सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी ग्राम कुण्डी थाना सरसावा, स0पुर को 79 लाख 22 हजार रूपये नगद व दो–दो हजार के आनलाइन स्टाम्प पेपर व 02 ऐक्सिस बैंक के ब्लैंक चैक व घटना में प्रयुक्त गाडी एक्सयूवी 500 नं0–यूके–08 एटी 7297 सहित गिरफ्तार किया जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु थाना नकुड़ पुलिस को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 04–08–2019 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री यतेन्द्र सिंह नागर के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा ग्राम ककराला की तरफ जाने वाले रास्ते से उक्त मुकदमें में शामिल अभि0 प्रदीप पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम जुड्डी थाना नकुड़, सहारनपुर को 05 लाख रुपये नगद सहित समय 06.45 बजे प्रातः गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना नकुड़ पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–प्रदीप पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम जुड्डी थाना नकुड़, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1– 05 लाख रुपये नगद।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि ये 05 लाख रुपये उसी प्रकरण के है, जिसमें हमने जमीन की खरीद फिरोख्त के लिये एक प्लान के तहत लिये थे तथा बाकि के रुपये अपने अन्य साथियो के पास होना बताया है। गिरफ्तार अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री सुशील कुमार सैनी प्रभारी निरीक्षक नकुड़, सहारनपुर।

2–व0उ0नि0 श्री राजीव कुमार यादव थाना नकुड़, सहारनपुर।

3–का0 877 रोबिन सिंह थाना नकुड़, सहारनपुर।

4–का0 1876 सचिन शर्मा थाना नकुड़, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 04–08–2019

थाना बडगांव पुलिस द्वारा एक शातिर वाहन चोर को चोरी की मोटर साइकिल व नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री अजेय शर्मा के कुशल नेतृत्व दिनांक 03–08–2019 को समय 19.55 बजे थाना बडगांव पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान जडौदा पाण्डा रजवाहा पटरी किशोरपुर रोड से अभि0 1–रजनीश पुत्र चन्दकीराम निवासी ग्राम किशोरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली को चोरी की हीरो स्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर की व 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 232/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–रजनीश पुत्र चन्दकीराम निवासी ग्राम किशोरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

1– बरामदगी का विवरणः–

1– चोरी की हीरो स्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर की।

2– 01 नाजायज चाकू।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं और मेरे साथी राहुल पुत्र रफल निवासी किशोरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली ने दिनांक 02–08–2019 को राहुल पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम महेशपुर थाना बडगांव, सहारनपुर की दुकान पर खडी हीरो स्पलेण्डर मोटर साइकिल को चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 231/2019 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा दिनांक 24–07–2019 को श्री सत्यपाल शर्मा पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर के खेत से अपाचे मोटर साइकिल नं0–यूपी 12 एएम 6281 को चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 169/2019 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। फरार अभियुक्त राहुल ने अपाचे मोटर साइकिल को मुजफ्फरनगर में कबाडी को 5000/–रूपये में बेचकर, उसने मुझे 2500/–रूपये दिये थे जो खर्च हो गये है। हम दोनों जनपद शामली व सहारनपुर में अलग–अलग स्थानों से मोटर साइकिल व घरो में खडे वाहनों की बैटरी व घर में रखे इन्वर्टर, बैटरी आदि को चोरी कर कबाडियों को बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का वाहन चोर है जिसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः–

1–श्री प्रवीण कुमार थानाध्यक्ष बडगांव, सहारनपुर।

2–उ0नि0 श्री जयप्रकाश भास्कर थाना बडगाव, सहारनपुर।

3–का0 1204 रमंग चौहान थाना बडगांव, सहारनपुर।

4–का0 42 शुभम धामा थाना बडगांव, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 04–08–2019

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 02–08–2019 को थाना नानौता पुलिस द्वारा गंगोह रोड नानौता से अभि0 अन्नू पुत्र सुखपाल निवासी सांगा ठेडा थाना गंगोह, सहारनपुर को 36 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 275/19 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 02–08–2019 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम सांगा ठेडा से अभि0 सोनू उर्फ अमीर आलम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सांगा ठेडा थाना गंगोह, सहारनपुर को 01 सीएमपी .315 बोर मय 01 जिन्दा कार0 सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 622/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध चरस सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 03–08–2019 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा ग्राम बीनपुर जाने वाले रास्ते पर से 02 अभि0 1–रजनीश पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह, सहारनपुर 2–मौ0 साकिर पुत्र अब्दुल हसन निवासी ग्राम सास्त्रा थाना गंगोह, सहारनपुर को 116 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 623,624/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब व चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 02–08–2019 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा शिवपुर वाले रास्ते पर से अभि0 सोनू पुत्र मांगेराम निवासी बिलासपुर थाना देवबन्द, सहारनपुर को नाजायज चाकू व 10 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 614,615/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 60(1) जी आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 03–08–2019 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा टोडरपुर मिल पुराना बैंक से अभि0 अकरम पुत्र नौसाद निवासी टोडरपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर को सट्टे की खाईबाडी करते समय पर्चा सटटा मय 350/रू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 295/19 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–

दिनांक 02–08–2019 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा जोगियान पुल की ओर अंसारी रोड से अभि0 फैजान पुत्र एहसान निवासी मौ0 नूरबस्ती बडी मस्जिद थाना को0नगर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0 253/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

जघन्य अपराधः–शून्य

मीडिया/सोशल मीडिया सेल,
कैम्प कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद सहारनपुर।